

11 / 4 / HP / 240 PM / 19/3/14 / R-0
19/3/14

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(कानूनी नियम और आदेश)

(प्रारूप-2क)

(देखें नियम-4)

नामनिर्देशन-पत्र

लोक सभा के लिए निर्वाचन 2014

नीचे भाग-I या भाग-II, इनमें से जो भी लागू न हो, उसे काट दें

भाग-I

(मान्यत प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किया जाना है)

मैं लोक सभा के निर्वाचन के लिए 34 सासाराम जिला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित को नामनिर्दिष्ट करता हूँ।

अभ्यर्थी का नाम देवी पासवान

पिता/मृत/पति का नाम श्री रामचन्द्र पासवान

उसका डाक पता शाहपोठ - नरदेवा भाग-सासाराम जिला - रोहतास

उसका नाम 308 सासाराम विधान सभा

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (में समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र) की निर्वाचक नामावली के भाग सं०- 95 में क्रम सं० 402 पर प्रविष्ट है।

मेरा नाम निरान्त रमण है जो 34 सासाराम जिला

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (में समाविष्ट 204 नरदेवा विधान सभा जिला

सभा निर्वाचन-क्षेत्र) की निर्वाचक नामावली के भाग सं०- 97 में क्रम सं० 479 पर प्रविष्ट है।

तारीख 18.03.2014

निरान्त रमण
(प्रस्थापक के हस्ताक्षर)

भाग-II

(मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़े न किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किए जाने के लिए)

हम घोषणा करते हैं कि लोक सभा के निर्वाचन के लिए
संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से निम्नलिखित को अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशित करते हैं।

अभ्यर्थी का नाम

पिता/माता/पति का नाम

उसका डाक पता

उसका नाम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र*
(में समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र) की निर्वाचक नामावली के भाग सं०-..... में
क्रम सं०..... पर प्रविष्ट है।

हम घोषणा करते हैं कि हम उपर्युक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक हैं और हमारे नाम उस
संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में, जैसे कि नीचे उपदर्शित है, दर्ज है और हम इस
नामनिर्देशन के नीचे प्रतीक स्वरूप अपने हस्ताक्षर करते हैं।

प्रस्थापकों की विशिष्टियां और उनके हस्ताक्षर :-

क्र० सं०	प्रस्थापक का निर्वाचक नामावली संख्या			पूरा नाम	हस्ताक्षर	तारीख
	घटक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम	निर्वाचक नामावली का भाग संख्या	उस भाग में क्रम सं०			
1	2	3	4	5	6	7
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

कृपया ध्यान दें: प्रस्थापक के रूप में निर्वाचन क्षेत्र के दस निर्वाचक होने चाहिए।

अधिसूचना सं०-एस०ओ०५५८ (ई०) दिनांक ०९.०८.९६ द्वारा प्रतिस्थापित

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(कानूनी नियम और आदेश)

भाग-III

में, भाग-1/भाग-2 (जो लागू न हो उसे काट दें) में उल्लिखित अभ्यर्थी इस नामनिर्देशन के लिए अपनी अनुमति देता हूँ और घोषणा करता हूँ कि :-

(क) मैंने 58 वर्ष की आयु पूरी कर ली है।
(नीचे ख (i) या ख (ii) में से जो लागू न हो उसे काट दें)

या

(ख) (i) मुझे इस निर्वाचन में भारतीय जनता पार्टी दल द्वारा खड़ा किया गया है जो इस राज्य में मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय दल/राज्य दल है और उपर्युक्त दल के लिए आवश्यक प्रतीक मुझे आवंटित किया जाए।

या

(ii) मुझे इस निर्वाचन में 21-24 दल द्वारा खड़ा किया गया है जो रजिस्ट्रीकृत अमान्यताप्राप्त राजनीतिक दल है/मैं यह निर्वाचन स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ। (जो लागू न हो उसे काट दें) और मैंने जो प्रतीक चुने हैं वे अधिमान-क्रम में (i) 21-24 (ii) 21-24 (iii) 21-24 है।

(ग) मेरा नाम और मेरे पिता/माता/पति का नाम ऊपर डेवनगरी (हिंदी) (भाषा के नाम) में सही रूप से लिखा गया है।

(घ) अपनी सर्वोत्तम जानकारी और वि. वास के अनुसार मैं लोक सभा का स्थान भरने हेतु चुने जाने के लिए अर्हित हूँ और निरर्हित भी नहीं हूँ।

* मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं बुद्धधर विहार राज्य के उस राज्य में के अभिमत (क्षेत्र) के संबंध में अनुसूचित

** जाति/जनजाति है।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मुझे लोक सभा के लिए एक साथ निर्वाचन कराए जा रहे आन निर्वाचन/उप-निर्वाचनों में दो से अधिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में अभ्यर्थी के रूप में ** नामनिर्दिष्ट किया गया है और न ही किया जाएगा।

तारीख 18.03.2014

(अभ्यर्थी का हस्ताक्षर)

* जम्मू-कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव तथा लक्षद्वीप की दशा में "समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र" शब्दों को काट दें।

+ यदि लागू न हो तो इस कठिका को काट दें।

** यदि लागू न हो तो इस पैरा को काट दें।

** लागू न होने वाले शब्दों को काट दें।

@ जम्मू-कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप, चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव तथा लक्षद्वीप की दशा में लागू नहीं होगा।

"मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल" से अभिप्रेत है निर्वाचन प्रतीक (आख्या और आवंटन) आदेश, 1968 के अधीन निर्वाचन आयोग द्वारा संबद्ध राज्य में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल।

लागू न होने वाले शब्दों को काट दें

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(फ़ॉर्म नंबर 1 और आदेश)

भाग-III (क)

(अभ्यर्थी द्वारा भरा जाएगा)

यदि अभ्यर्थी को -

(i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा-8 क की

(क) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध (अपराधों) के लिए या

(ख) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी विधि के उल्लंघन के लिए

सिद्धोप ठहराया गया है; या

(ii) ऐसे किसी अन्य अपराध (अपराधों) के लिए सिद्धोप ठहराया गया है, जिसके (जिनके) लिए उसे दो वर्षों या उससे अधिक के कारावास से दंडित किया गया है।

यदि उत्तर 'हां' में है, तो अभ्यर्थी निम्नलिखित जानकारी देगा :

(i) पद/प्राथमिकी संख्या 2204

(ii) स्थान(स्थान) अजमेर जिला(जिले) अजमेर

राज्य अजमेर

(iii) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा(धाराएँ) और उस/उन अपराध(अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए उसे सिद्धोप ठहराया गया था। 2204

(iv) सिद्धोप ठहराए जाने की तारीख (तारीखें) 22-4

(v) अभ्यर्थी को सिद्धोप ठहराने वाले न्यायालय अजमेर

(vi) अधिराजित दंड कारावास की अवधि और/या जुर्माने की रकम का उल्लेख करें 2204

(vii) कारावास से विमुक्ति की तारीख(तारीखें) 22-4

(viii) क्या चर्चुल सिद्धोप (सिद्धोपों) के विरुद्ध कोई अपील/पुनरीक्षण आवेदन दायर की गई थी 22-4
हाँ/नहीं

(ix) दायर किए गए अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण-आवेदन(आवेदनों) की तारीख और विशिष्टियाँ 22-4

(x) उस न्यायालय(न्यायालयों) के नाम जिसके/जिनके समक्ष अपील/पुनरीक्षण-आवेदन दायर किए हैं अजमेर

(xi) क्या उक्त अपील/पुनरीक्षण-आवेदन(आवेदनों) का निष्पादन हो गया है/अभी लंबित है 22-4

(xii) यदि उक्त अपील/पुनरीक्षण-आवेदन निष्पादित हो गए हैं तो-?

(क) निष्पादन की तारीख(तारीखें) 22-4

(ख) पारित आदेश (आदेशों) का स्वरूप 2204

स्थान अजमेर



तारीख 18.03.2024

(अभ्यर्थी का हस्ताक्षर)

भाग-IV

(रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा भरा जाएगा)

नामनिर्देशन-पत्र का क्रमांक 11
यह नामनिर्देशन-पत्र मुझे/मेरे कार्यालय में 18/03/14 (तारीख) को 2.40 PM (बजे)
अभ्यर्थी/प्रस्थापक द्वारा परिदत्त किया गया।

तारीख 18/03/2014


रिटर्निंग ऑफिसर

*लागू न होने वाले शब्दों को काट दें।

भाग- V

नामनिर्देशन-पत्र को प्रतिगृहीत या रद्द करने वाले रिटर्निंग ऑफिसर का
विनिश्चय

मैंने इस नामनिर्देशन-पत्र को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 36 के अनुसार परीक्षित कर
लिया है और मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूँ:-

तारीख _____

रिटर्निंग ऑफिसर

भाग-VI

नामनिर्देशन पत्र के लिए पावती रसीद और संवीक्षा की सूचना

(नामनिर्देशन पत्र उपस्थित करने वाले व्यक्ति को दी जाने के लिए)

नामनिर्देशन पत्र की क्रम सं० 11 का जो 34-सासाराम (अ0जा10)
संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी है, नामनिर्देशन पत्र मुझे/मेरे कार्यालय में 18/03/14
(तारीख)की 2.40 PM (बजे) *अभ्यर्थी/प्रस्थापक द्वारा परिदत्त किया गया। सभी
नामनिर्देशन-पत्रों की संवीक्षा 21/03/14 (तारीख) को 11 (बजे) समाहरणालय, कैमूर
(भभुआ) निर्वाची पदाधिकारी का कार्यालय प्रकोष्ठ में की जाएगी। 21/03/14

तारीख 18/03/2014


रिटर्निंग ऑफिसर

COGNATE शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया

(भारत के संविधान का अनुच्छेद 173 (क)) BIHAR
(संसदीय क्षेत्र निर्वाचन के लिए अम्बर्थी द्वारा भरा जाने वाला)

जो लोक सभा में एक स्थान को भरने के लिए अम्बर्थी के रूप निर्देशित हुआ हूँ ईश्वर की शपथ लेता हूँ। सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञान करता कि मैं विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और भारत की संप्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा।

अम्बर्थी के हस्ताक्षर और स्पष्ट अक्षरों में उसका नाम

जो लागू न हो उसे काट दें।

श्री/श्रीमती इंदिरा पाण्डेय
आज दिनांक 18 माह 03 2014 को निर्वाचन कार्यालय
स्थान) पर बजे मेरे समक्ष ईश्वर की शपथ ली/सत्य निष्ठा
प्रतिज्ञान किया।

(प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर)
नाम पदनाम और मुहर

शपथ-प्रपत्र की प्राप्ति के लिए प्रमाण-पत्र

(प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा अम्बर्थी को दिया जायेगा)

प्रमाणित किया जाता है कि लोक सभा निर्वाचन के लिए अम्बर्थी श्री इंदिरा पाण्डेय
(नाम) ने (दिनांक) 18/03/14 को
बजे मेरे कार्यालय में मेरे समक्ष भारत के संविधान द्वारा यथा अपेक्षित शपथ ली/प्रतिज्ञान किया
और उस पर हस्ताक्षर किए।

दिनांक :-

(प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर)
नाम पदनाम और मुहर

APPNDIX VII C

STATEMENT OF SUMMARY OF PARTICULARS/ INFORMATION FURNISHED IN AFFIDAVITS

(CHAPTER III PARA 4,5(3.1))

No. & Name of Constituency: 34 SASARAM S.C

S.No	Particulars	Description
1	Candidate's Name	CHHEDI PASWAN
2	Father's / Mother's / Husband's Name	LATE RAMCHANDRA PASWAN
3	Age	58 years
4	Educational Qualification	M. A.
5	Convicted (yes)/(no) if yes, then list of section (s)	No.
6	Cases Pending (yes)/ (no) if yes, then list of Sections (s)	No.
7	Assets Moveable Immovable	Rs 2384190/- and share 50/12
8	Liabilities / Overdues of Public Financial Institutions and Government dues.	Nil



Signature of Candidate

Date: 18.03.2014

PLACE: Bhabua

REQUEST FORM

For contact details of candidates standing in

Parliamentary/ Assembly Elections. 2009

- 1- No. and Name of Parliamentary/ Assembly Constituency: 34 SASARAM S.C.
- 2- Full name of candidate : CHHEDI PASWAN
- 3- Sex : Male
- 4- Age : 58 years
- 5- Party : Bhartiya Janta party
- (mention independent if not set-up by political party) :

- 6- City/ area of native place : Takiya Bazar, Sasaram
- Please enter your contact details below
- 7- Full address : Vill + p.o. Takiya, p.s. Sasaram
- 8- Landline phone no. : Dist - Rohas, Bihar
- 9- Mobile phone no. : 9934774400
- 10- Email address (if any) : Not
- 11- Website address (if any) : Not

Check List of documents in connection with filing of nonination

Name of Constituency:

Name of candidate:

Date and time of filing nomination paper:

Sl. No. of nomination paper

S.No	Documents	Whether filed (write yes/no) (If there is any defect/ shortcoming in the documents. the some should be specified)
1	Affidavit in Form 26.... (a) Whether all columns are filled up. (b) if not, which are blank column(s) (Please specify); (c) Whether the affidavit is sworn before an Oath Commissioner or Magistrate of First Class or before a Notary Public.	
2	Certified extract of electoral roll (when candidate is an elector of a different constituency)	
3	Forms A and B (applicable in the case of candidates set up by political parties.	
4	Copy of caste certificate (if the candidate claims to belong to SC/ST)	
5	Security deposit (whether made)	
6	Oath / affirmation (whether taken)	

The following documents which have not been filed should be filed as indicated below:

(a).....should be filed latest by

(b) above mentioned columns in the affidavit in Form 26 have been left blank. You must submit a fresh Affidavit with columns duly filled up before the commencement of scrutiny of nominations, failing which the nomination paper will be liable to be rejected.

(c)should be filed latest by.....

Received.

.....

.....

Signature of RO/ ARO

(Signature of candidate)

Date;

PLACE: *

N.B

1. The affidavit in Form 26 and Forms A & B have to be filed latest byP.M on the last date of filing nominations.
2. The nomination paper will be rejected if a candidate fails to fill the blanks in Form 26 even after reminder by RO by the hour fixed for scrutiny of nomination paper.
3. Oath has to be taken after filing nomination paper and before the date fixed for scrutiny.
4. Certified extract of electoral roll can be filed up to the time of scrutiny.
5. Security deposit should be made either before filing of nomination paper or at the time of filing of nomination paper. Therefore, there is no question of issuing notice for making the security deposit.